समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांकः ब0–2/आ0(102–0001)–04/2018 निर्वा0 – 02/आ0 दिनांकः 13.04.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राप्त मुख्य शीर्ष 2015–निर्वाचन–00–105–संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार–0001– लोक सभा निर्वाचन की विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय इकाई मद में ₹ 2,00,000.00 (दो लाख) रुपये मात्र आवंटन प्राप्त हुए हैं जिसे निम्नलिखित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ (4) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	0001.13.01 कार्यालय व्यय		
		वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्व आवंटित राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में वर्त्तमान में आवंटित की जा रही राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में वर्त्तमान आवंटन को मिलाकर कुल आवंटित राशि (₹ में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	0.00	200000.00	200000.00
	योगः–	0.00	200000.00	200000.00

2. आवंटित राशि का व्यय मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन–00–105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार–0001– लोक सभा निर्वाचन अन्तर्गत 0001.13.01 कार्यालय व्यय में वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपावंटित राशि मांग संख्या–06 एवं विपत्र कोड–06–2015001050001 है।

4. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र सं0 –2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक–ब–15/बी0एस0जी0–15/2018–251/वि0 दिनांक–27.02.2018 एवं पत्रांक–ब–15/बी0एस0जी0–15/2018–354/वि0 दिनांक 28.03.2018 के आलोक में आवंटित है।

5. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों/वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6. (i) **यह राशि आगामी लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की तैयारी के क्रम में अन्य राज्यों से ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट को प्राप्त कर लाने हेतु व्यय के भुगतान (Freight Charge के व्यय को छोड़कर) के लिए आवंटित है। इस आवंटित राशि से उक्त में होने वाले व्यय के अतिरिक्त किसी भी अन्य लंबित दायित्व का भुगतान नहीं किया जायेगा। तद्‌लोक में नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।**

(ii) आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा नियमानुसार जाँचकर भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. आवंटित राशि के व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाये।

9. इस आवंटन आदेश की सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

28/4/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः 157 /नि0, दिनांकः 03/05/18

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/4/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः 157 /नि0, दिनांकः 03/05/18

प्रतिलिपिः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार,–सह–सरकार के प्रधान सचिव बिहार पटना के पत्रांकः 02/आ0 दिनांकः 13.04.2018 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/4/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।